न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 22/2023
रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/28

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. जीतमल पुत्र श्री लालचन्दजी मैसर्सः– संजय किराणा स्टोर, सांगडोद चौराया, हेरापाडा, बांसवाडा
2. Chanda Devi Badlani m/s Krishna Traders, Gali No 2 Ojariya Bypass, Amardeep Banglows Banswara
3. Yash Badlani m/s S T Traders, 43-D Mangal Nagar, Indor (MP) 452001
4. Baljeet Kaushik M/s- Krishna Dairy Products, G-1, 257 & 258 Industrial Area Khushkhera, Bhiwadi, Alwar 311707

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 04.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक 09–02–2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 24–08–2022 को 02.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जॉच हेतु मैसर्स – संजय किराणा स्टोर, सांगडोद चौराया, हेरापाडा, बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर जीतमल पुत्र श्री लालचन्दजी उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स संजय किराणा स्टोर, सांगडोद चौराया, हेरापाडा, बांसवाडा का निरीक्षण करने पर **Ghee (Brand- Tanya)** के 40 पैकेट प्रत्येक 200 – 200 ml. आम जनता को खाद्य [illegible] में मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में [illegible] पर सूचना देते हुए **Ghee (Brand- Tanya)** के 04 पैकेट [illegible] नमूना जांच [illegible] खरीदा तथा इनकी कीमत 320 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद [illegible] विक्रेता तथा गवाहान [illegible] हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जांच हेतु खरीदशुदा **Ghee (Brand- Ta**[illegible] के पैक पैकेट के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:23:19 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1172** लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/274–275 दिनांक 08–09–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 745 दिनांक 07–09–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Ghee (Brand-Tanya)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1172** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा उक्त का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13–02–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 28–03–2023 को अप्रार्थीगणो की ओर से अभिभाषक श्री [illegible]जीव जोशी, श्री जगदीश चन्द्र कटारा ने अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया। [illegible]23 को अप्रार्थीगणो की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया। [illegible]गणो [illegible] उपस्थित होकर दिनांक 04.07.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय [illegible] भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:23:19 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/274–275 दिनांक 08–09–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 745 दिनांक 07–09–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Ghee (Brand-Tanya)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1172** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड **Ghee (Brand- Tanya)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया

ाय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थीगणों जीतमल पुत्र श्री लालचन्दजी मैसर्सः– संजय किराणा स्टोर, सांगडोद चौराया, हेरापाडा, बांसवाडा, को रूपये 15000/– (अक्षरे रू पन्द्रह हजार मात्र) से, **Chanda Devi Badlani m/s Krishna Traders, Gali No 2 Ojariya Bypass, Amardeep Banglows Banswara** को रूपये 20000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र) से, **Yash Badlani m/s S T Traders, 43-D Mangal Nagar, Indor (MP) 452001** को रूपये 30000/– (अक्षरे रू तीस हजार मात्र) से तथा **Baljeet Kaushik M/s- Krishna Dairy Products, G-1, 257 & 258 Industrial Area Khushkhera, Bhiwadi, Alwar 311707** को रूपये 40000/– (अक्षरे रू चालिस हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:23:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner